

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Constitutional (Amendment) Bill, 2018 (Amendment to article 148)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।